

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 3856/14-1 शाहजहांपुर

दिनांक 6/06/2023

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव बरेली वृत्त बरेली।

विषय:-

जनपद शाहजहांपुर में हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 731 किमी 88.750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य में शाहजहांपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 152 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट अर्थात् कुल 12.1615 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 1414 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बंध में (Package-2A) (Proposal no FP/UP/ROAD/157554/2022)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/३१५/२०२२/एफ०सी०/८१७ दिनांक ११-०१-२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में दिये गये निर्देशानुसार वांछित बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ०४ प्रतियों में मय संलग्नक सहित संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

Observ No	Observation of	Reply
1	2	3
1	The area Proposed for diversion is 12.1615 ha. PF which is not matching with area as per kml file is 12.4770 ha. This need clarification/rectification.	कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पत्रांक 17003/4/Pkg-2A-1/2022/PIU-Brly 17327 Date 01-02-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित के०एम०एल० फाइल उनके द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-०१)
2	Two CA schemes of 25.0 ha. Each have been uploaded on PARIVESH portal in part-II of the proposal under each division involved for diversion of Forest area which needs to be entered/uploaded at one place only	प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सापेक्ष भाग-०२ में परिवेश पोर्टल पर गलत रूप से अपलोड क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राकलन एवं के०एम०एल० फाइल सम्बंधित वन प्रभाग द्वारा हटा दी गयी है। भाग-०२ के पोर्टल पर केवल एक ही वन प्रभाग द्वारा अपलोड की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राकलन एवं के०एम०एल० फाइल अपलोड है।
3	The area proposed for CA plantation falls under barren (rocky) areas as per DSS analysis. Therefore, the concerned DFO needs to ascertain and submit a certificate that the area proposed for CA plantation is suitable for plantation. Also, out of 39.11 ha. proposed for CA, 25 ha. needs to be demarcated separately.	आगरा वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि बाह रेंज के वन ब्लॉक रामपुर चन्द्रसैनी १० हे०, बिचौला १० हे० एवं फरैरी वन ब्लॉक ०५ हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित है। जो आरक्षित वन भूमि विवाद रहित तथा अतिक्रमण से मुक्त है। चिन्हित वन भूमि का फारेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया के साफ्टवेयर पर DSS Analysis कराने के उपरान्त वानस्पतिक घनत्व ०.४ अथवा ४० प्रतिशत से कम घनत्व पाया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल की के०एम०एल० भू-संदर्भित मानचित्र, रंगीन टोपोग्राफी १:५०,०००, उपयुक्त प्रमाण पत्र, प्राकलन, भाग-२ की संशोधित प्रति ०४-०४ प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (संलग्नक-०२)

4	It is not clear from the proposal that what is the status of widening before and after proposed alignment.	The existing section is 2L+ paved Shoulder which is being widened to 4 lane Highway along with bypass and structures (flyovers, VUP, etc) at intersections. The diverted and remaining PF land is already shown in layout plan attached with proposal. (संलग्नक-01) के अनुसार।
5	Details of existing ROW, proposed ROW and land width (ROW) availability for roadside plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	The Project section is 2L+Paved Shoulder which is being widened to 4 Lane Highway with bypassing major habitations with acquisition in 32m to 45m width (PROW). The road side plantation shall be carried out by the Contractor of the Project as per final provision of SP-21:2009. The final plantation scheme can be available only after the final design of alignment which is in the scope of the Contractor. However, a minimum of 7,000 avenue plantation and 3,000 median plantations will be carried out along the alignment. (संलग्नक-01) के अनुसार।

भवदीय
(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1:- मुख्य वन संरक्षक रुहेलखण्ड जोन बरेली, उत्तर प्रदेश।
2:- प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग, आगरा।
3:- प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, हरदोई।
4:- परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्राधि0 परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।